रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1972 (पौष, 11, 1893)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972 (PAUSA 11, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दि
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर
Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied

विषय-सूची

पृष्ठ

-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) के मंत्रालयों और उच्चतम ... जारी की गई विधिक र ... विनियमों तथा आदेशों और ... कल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 1

...—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1

I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, ... से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1

...—अधिनियम, अध्यादेश और . . . —

2—विधेयक और विधेयकों संबंधी ...तियों की रिपोर्टें . —

...—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय ...) भारत सरकार के मंत्रालयों ...ज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को ...न्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए ... अन्तर्गत बनाए और जारी साधारण नियम (जिनमें साधारण ... आदेश, उप-नियम आदि . . . 1

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . 1

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 1

भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें 1

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . 1

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . 1

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . 1

पूरक संख्या 1—

25 दिसम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट 1

4 दिसम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . 13

CONTENTS

PAGE

...—Notifications relating to ... Rules, Regulations, Orders ... issued by the Ministries ...nment of India (other than ... of Defence) and by the ...art 1

... 2.—Notifications regarding ...s, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Minis... ...vernment of India (other than ... of Defence) ... the ... .n- 1

—

1

—

—

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 1

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 1

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 1

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 1

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 1

SUPPLEMENT No. 1—

Weekly Epidemiological Reports for week ending ... 1971 1

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1971

सं० 85-प्रेज० 71—शुद्धिपत्र दिनांक 24 मई, 1969 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 26-प्रेजा 69 दिनांक 18 नवम्बर 1968 में शुद्धि करने हेतु :—

(1) "उन्नत रक्षा सुरक्षा कोर मैडल" शीर्षक के नीचे द्वितीय धारा में "परिमा के साथ साथ हिन्दी में" उन्नत रक्षा सुरक्षा कोर मैडल" अंकित होगा"। **वास्ते**

"परिमा के साथ साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में "उन्नत रक्षा सुरक्षा कोर मैडल" अंकित होगा"। **पढ़ें**

(2) "रक्षा सुरक्षा कोर मैडल" शीर्षक के नीचे द्वितीय धारा में "परिमा के साथ साथ हिन्दी में" रक्षा सुरक्षा कोर मैडल" अंकित होगा"। **वास्ते**

"परिमा के साथ साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में" रक्षा सुरक्षा कोर मैडल" अंकित होगा।" **पढ़ें**

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

कृषि मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर, 1971

सं० ओ० 17011/9/1971-जी०ओ० पी०—भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 1-25/65-सी० सी०, दिनांक 27 मई, 1966 में प्रत्याभूतियों की एक स्कीम अधिसूचित की थी, जिससे कि थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार और उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के राज्य तथा राष्ट्रीय परिसंघ बैंककारी अभिकरण से पर्याप्त कामकाज पूंजी प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इस स्कीम के अधीन, शीर्ष तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी बैंक को उनके द्वारा इन सहकारी सोसाइटियों को दिए गए प्रतिभूत अग्रिम धनों के बारे में अस्थायी अवधि के लिए एक सीमित प्रत्याभूति की व्यवस्था की गई है। यह स्कीम 31 दिसम्बर, 1971 तक प्रवृत्त है।

2. भारत सरकार द्वारा, प्रत्याभूति स्कीम को जारी रखने के प्रश्न पर उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों को कम किए गए मार्जिनों पर बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने की आवश्यकता और सितम्बर, 1970 में हुए सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रारों और अक्तूबर, 1970 में हुए राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा इस निमित्त की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया था, और यह विनिश्चय किया गया है कि प्रत्याभूति की इस स्कीम को, कुछ उपान्तरों के साथ, 1-1-1972 से 31-3-1974 तक आगे और अवधि के लिए प्रवृत्त रखा जाए। इस विनिश्चय के अनुसरण में भारत सरकार पूर्वोक्त बैंकों के साथ निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर करार करने के बारे में विचार करेगी।

3. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों और उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के राज्य तथा राष्ट्रीय परिसंघों को ऐसे माल की गिरवी या आडमान के बदले में जिसके अन्तर्गत बही-ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व, विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत ही उपलब्ध होगी। बैंकों को ऐसे उधारों तथा अग्रिम-धनों पर केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखना है। किसी सोसाइटी को किसी ऐसे उधार या अग्रिम-धन उक्ती बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति की रकम निम्नलिखित तक सीमित होगी :—

(i) उस तारीख को जिसको करार के निबन्धनों के अनुसार मांग की सूचना बैंक द्वारा जारी की गई है, सोसाइटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया सब उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का 25 प्रतिशत ; या

(ii) राष्ट्रीय परिसंघ की दशा में 75 लाख रुपए (पचहत्तर लाख रुपए), राज्य परिसंघ की दशा में 50 लाख रुपए (पचास लाख रुपए) और ऐसी सोसाइटी जिसके कारबार का मुख्य स्थान बृहत्तर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर या अहमदाबाद में है, की दशा में 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) और किसी अन्य सोसाइटी की दशा में 15 लाख रुपए (पन्द्रह लाख रुपए),

इनमें से जो भी रकम कम हो।

4. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति, सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व, विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत उपलभ्य होगी । 1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात् प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम-धन और 31 मार्च, 1974 को विद्यमान किसी उधार या अग्रिम-धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रत्याभूति के अन्तर्गत नहीं आएगी । इस प्रत्याभूति के कारण उत्पन्न हुए केन्द्रीय सरकार के दायित्व का पर्यवसान 31 मार्च, 1974 को कारबार के बन्द होने के समय हो जाएगा ।

5. सोसाइटी, भारत के राष्ट्रपति के साथ इससे उपाबद्ध प्रत्याभूति-विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक करार करेगी और निम्नलिखित के लिए वचनबन्ध करेगी :—

(क) बैंक द्वारा उधार, अग्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करने के लिए ;

(ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारबार तत्परता पूर्वक करने के लिए;

(ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धन-राशियों का प्रतिसंदाय मांग पर बिना पूर्वापत्ति के करने की भी प्रत्याभूति देने के लिए , जो बैंक द्वारा सोसाइटी की ओर से बैंक को संदाय करने में व्यतिक्रम के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाए;

(घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति का कार्यान्वित करने, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धारण करने, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करने और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करने के लिए ;

(ङ) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में कड़ी सावधानी बरतने और साथ ही उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करने के लिए;

(च) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबन्ध-रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करने और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए ;

(छ) केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्देशित किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सोसाइटी के लेखाओं तथा उसके कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए; और

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा सोसाइटी के कार्यकरण के किसी पहलू के बारे में जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन उचित समय के भीतर करने के लिए ।

यह करार धन राशि निकालने की तारीख से पूर्व निष्पादित किया जाएगा । बैंक कोई संदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि हस्ताक्षरित करार तथा प्रत्याभूति-विलेख की द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में सम्मति-पत्र नहीं दे दिया जाते हैं ।

6. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों पर ब्याज के लिए लागू नहीं होती है ।

7. प्रत्येक बैंक ऐसे सभी वचन-पत्रों या वसूल न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंकों को उनके द्वारा सोसाइटी को दिए गए ऐसे उधारों के बारे में उपलभ्य हों, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत उसको देय सम्पूर्ण बकाया की उसके द्वारा वसूली के बाद भी तब तक प्रतिधारित रखेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूतिदाता के रूप में प्रतिपूरित रकम की वसूली न हो जाए ।

8. बैंक प्रत्याभूति-विलेख की द्वितीय अनुसूची में दिया गया इस आशय का एक सम्मति-पत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करेगा और केन्द्रीय सरकार को देगा कि सोसाइटी निम्नलिखित रूप में करार करती है कि :—

(क) वह प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक को संदत्त की गई किसी रकम पर ब्याज उसी दर से जिस दर से सोसाइटी को दिए गए उधार अग्रिम-धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए तब तक देती रहेगी जब तक उक्त रकम केन्द्रीय सरकार को संदत्त या उसके पक्ष में समययोजित नहीं कर दी जाती ;

(ख) उस तारीख के पश्चात् जिसको प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने किसी रकम की प्रतिपूर्ति बैंक को की है, किन्तु प्रत्याभूति के अन्तर्गत आने वाले उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंक के दावे की पूरी-पूरी तुष्टि हो जाने के पश्चात् और उस समय तक जब तक उन रकमों की जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है और उन पर ब्याज तथा प्रभारों सहित सोसाइटी द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उधार या अग्रिम-धन लेखे सोसाइटी द्वारा दी गई या सोसाइटी से वसूल की गई सब रकमों को जमा होने देगी या जमा करने के लिए बैंक को अनुज्ञा देगी ;

(ग) सब ऐसे उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंक के पक्ष में की प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार बैंक के पास होंगे और वह उनका प्रयोग करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे सब दावों की सुष्टि नहीं हो जाती; और

(घ) बैंक ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों और दावों का अन्तरण केन्द्रीय सरकार को उस दशा में करेगा जब पश्चात्कथित द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए ।

9. बैंक द्वारा किसी विशिष्ट सोसाइटी की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति का आसरा एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा । प्रत्याभूति का आसरा 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व किसी भी समय लिया जा सकेगा । बैंक पहले सोसाइटी के नाम इस मांग की सूचना जारी करेगा कि वह उन रकमों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम-धनों लेखे अपने को देय हों, सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त करें । यदि सोसाइटी इस अवधि की समाप्ति पर रकमों का संदाय नहीं करती है, तो बैंक केन्द्रीय सरकार के नाम मांग की सूचना जारी करेगा । केन्द्रीय सरकार बैंक को प्रत्याभूति के अधीन संदेय रकम की प्रतिपूर्ति उस तारीख से 90 दिन के भीतर करेगी जिसको उसे प्रत्याभूति का आसरा लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्राप्त हो ।

10. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति चाहने वाला बैंक, किसी उधार या अग्रिम-धन की बाबत सरकार की प्रत्याभूति का आसरा लिए जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार के नाम उन रकमों को जमा करने के लिए वचनबद्ध करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों की पूरी वसूली बैंक द्वारा सोसाइटी से किए जाने के पश्चात् सोसाइटी से वसूल की जा सकें । बैंक के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह प्रत्याभूति के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा रकम की प्रतिपूर्ति किए जाने के पश्चात् उपरोक्त रीति से कार्यवाही करे ।

11. उपरोक्त खण्डों में निर्दिष्ट बैंक की बाध्यताएं उस समय तक जारी रहेंगी जब तक कि वह रकम, जिसकी प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है, केन्द्रीय सरकार को संदत्त नहीं कर दी जाती या केन्द्रीय सरकार के नाम जमा नहीं कर दी जाती या जब तक केन्द्रीय सरकार उक्त रकम का समायोजन अपने द्वारा बैंक या सोसाइटी को संदेय किसी अन्य रकम से करने या उस रकम की वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाती ।

12. निदेशक (प्रत्याभूति तथा प्रवर्तन), सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय नई दिल्ली या उसकी अनुपस्थिति में उस मंत्रालय के उपभोक्ता सहकारी प्रभाग में कोई अन्य निदेशक इस अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के लिए बैंकों के साथ प्रत्याभूति का विहित करार करने का प्राधिकारी होगा । अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे निदेशक (प्रत्याभूति तथा प्रवर्तन), सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करें ।

ए० दास, संयुक्त सचिव

प्रथम अनुसूची

करार

एक पक्षकार के रूप में.....भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'केन्द्रीय सरकार' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत, जब तक संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में.....जो .....के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत/केन्द्रीय/मुख्य कार्यालय .....में है (और जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सोसाइटी' कहा गया है जिस पद के अन्तर्गत, जब तक संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, उसके निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती और उत्तराधिकारी भी समझे जाएंगे) के बीच आज 19....के/की.....के.....दिन किया गया यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :—

.....बैंक लिमिटेड के द्वारा सोसाइटी को उधार, अग्रिम-धन, नकद-द्रव्य सीमाएं और अन्य बैंककारी सुविधाएं और सहूलियतें देने के प्रतिफल-स्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधार और अग्रिम-धन के एक भाग के प्रतिसंदाय की केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रत्याभूति देने पर, सोसायटी केन्द्रीय सरकार से एतद्द्वारा वचनबद्ध करती है कि वह :—

(i) बैंक द्वारा, उधार, अग्रिमधन का नकद-द्रव्य मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करेगी ;

(ii) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसायटी का कारबार तत्परतापूर्वक करेगी ;

(iii) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करेगी, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करेगी ;

(iv) सोसाईटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बरतेगी और साथ ही उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी ;

(V) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबन्ध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ;

(VI) केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिशित किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखाओं तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी ; तथा

(VII) केन्द्रीय सरकार द्वारा सोसाइटी के कार्यकरण के किसी पहलू के बारे में जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन उचित समय के भीतर करेगी।

2. सोसाइटी केन्द्रीय सरकार को उन सब धन-राशियों का प्रतिसंदाय मांग पर बिना पूर्वापत्ति के करने की प्रत्याभूति करती है जो बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से सोसाइटी की ओर से किए गए व्यतिक्रम के फलस्वरूप वसूल की जाएं।

3. उपरोक्त खंड 2 के सिवाय, इस करार से उद्भूत होने वाले या इससे किसी प्रकार से सम्बद्ध या सम्बन्धित सभी विवाद और मतभेद भारत सरकार के अपर विधि सलाहकार (माध्यस्थम्) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एक मात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे। यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है या कि उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी मामले पर अपने विचार प्रकट किए हैं। भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम के उपबन्ध ऐसे माध्यस्थमों को लागू होंगे। मध्यस्थ का पंचाट अन्तिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

भारत के राष्ट्रपति के लिए
और उनकी ओर से ——(नाम और पदाभिधान)
द्वारा हस्ताक्षरित।
सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि
(प्रतिनिधियों) द्वारा हस्ताक्षरित
(नाम और पदाभिधान)
साक्षी

1.

2.

उपाबन्ध I

प्रत्याभूति-विलेख

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में ——————लि०, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई कम्पनी है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित किया गया निगम है। भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक') अधिनियम, 1959 (1959 का 38)। हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 (1956 का 79)। सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम 1950 के अधीन गठित किया गया निगम है।——————————के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी है, और जिसका ——————कार्यालय——————में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बैंक" कहा गया है) के बीच 19———के। की——————के ——————दिन किया गया यह प्रत्याभूति -विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

बैंक द्वारा——————————को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सोसाइटी" कहा गया है) पश्चातकथित के निवेदन पर, उन सामान्य प्रक्रियाओं, प्रथाओं, मार्जिनों या अन्य अपेक्षाओं को जिनका बैंक ने, इस प्रत्याभूति के अभाव में' सामान्य रूप से या प्रथा के अनुरूप या प्रज्ञा से अथवा बैंक के अधिकारों तथा हितों के और अच्छे संरक्षण के लिए अनुसरण किया होता या सोसाइटी से उनको स्वीकार करने, उनका अनुपालन करने या अनुसरण करने की अपेक्षा की होती, शिथिल, उपान्तरित या अधित्यक्त करने के उधार और अग्रिम धन देने के प्रफिलस्वरूप प्रतिभू बैंक को इसमें इसके पश्चात उपबन्धित परिमाण तक उधारों और अग्रिमधनों को सोसाइटी द्वारा बैंक को प्रतिसंदाय, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर बैंक को एतद्द्वारा प्रत्याभूत करता है जो इसमें इसके पश्चात उल्लिखित हैं :—

1. प्रतिभू की प्रतिभूति, बैंक द्वारा प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से सोसाइटी को विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व दिए गए किसी ऐसे प्रतिभूत उधार या अग्रिम-धन की बाबत ही उपलभ्य होगी जो माल की गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अन्तर्गत बही-ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, दिया गया हो। बैंक ऐसे उधारों और अग्रिम-धनों के लिए केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखने के लिए सहमत है।

2. उक्त सोसाइटी को उपरोक्त रूप में दिए गए उधार या अग्रिम धन की बाबत प्रतिभू का दायित्व, किसी भी समय, निम्नलिखित में से जो भी रकम सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होगा :—

(i) उस तारीख को जिसको प्रतिभू के नाम मांग की सूचना इसके खंड (3) के उपबन्धों के अनुसार बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसाइटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुत: बकाया सब उधारों तथा अग्रिम-धनों की रकम का पच्चीस प्रतिशत;

या

(ii)——————————लाख रुपये इनमें जो भी रकम कम हो।

3. बैंक 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व किसी भी समय प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट रीति से ले सकेगा, अर्थात् :—

(i) बैंक पहले सोसाइटी के नाम इस मांग की सूचना जारी करेगा कि वह उन रकमों को, जो उसे

बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम-धनों लेखे अपने को देय हों, उस तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त करें जिसको ऐसा प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा तामील की गई है,

( ) यदि सोसाइटी, यथापूर्वोक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर, बैंक द्वारा उसे दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों का संदाय नहीं करती है, तो बैंक प्रतिभू के नाम मांग की सूचना जारी करेगा,

( ) बैंक प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा लेते समय, प्रतिभू को निम्नलिखित विवरण देगा :—

(i) उन मालों का ब्यौरा, जिन पर ऐसा उधार या अग्रिम-धन दिया गया है जिसकी बाबत प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है;

(ii) उक्त मालों का बाजार मूल्य; और

(iii) निम्नलिखित तारीखों को सोसाइटी के नाम बकाया रकमें :—

(क) उस तारीख को जिसको प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा सोसाइटी के नाम जारी की गई थी, तथा

(ख) प्रतिसंदाय मांगने की सूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, और

(IV) प्रतिभू बैंक को देय रकम की इस प्रत्याभूति में उपबन्धित परिमाण तक प्रतिपूर्ति उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर करेगा जिसको प्रत्याभूति का आसरा लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्रतिभू ने प्राप्त की हो ।

4. इसमें अन्तर्दिष्ट प्रत्याभूति इस बात के होते हुए भी प्रतिभू के विरुद्ध प्रवृत्त की जा सकेगी कि कोई प्रतिभूतियां जो बैंक ने सोसाइटी से अभिप्राप्त की हों बकाया हों या वसूल न की गई हों ।

5. प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप में सोसाइटी भारत के राष्ट्रपति के साथ एक करार करेगी और इसके लिए वचनबंध करती है कि वह :—

(क) बैंक द्वारा उधार, अग्रिम-धन या नकद-द्रव्य मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करेगी ;

(ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारबार तत्परतापूर्वक करेगी ;

(ग) केन्द्रीय सरकार को, उन सब धनराशियों का प्रतिसंदाय मांग पर बिना पूर्वापत्ति के करने की भी प्रत्याभूति देगी जो बैंक द्वारा सोसाइटी की ओर से बैंक को संदाय करने में व्यतिक्रम के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाएं ;

(घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करेगी तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करेगी ;

(ङ) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बरतेगी और साथ-साथ उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी ;

(च) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबन्ध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति प्रतिभू को भेजेगी ;

(छ) प्रतिभू या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखाओं तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी ;

(ज) प्रतिभू द्वारा सोसाइटी के कार्यकरण के किसी पहलू के बारे में जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन उचित समय के भीतर करेगी।

बैंक सोसाइटी को कोई संदाय नहीं करेगा जब तक कि प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची के प्रफोर्मा में करार तथा द्वितीय अनुसूची के प्रफोर्मा में सम्मति-पत्र पक्षकारों द्वारा सम्यक्रूप से निष्पादित करके उसे नहीं दे दिए जाते।

6. बैंक उस प्रत्याभूति के प्रतिफलस्वरूप जो उसको प्रतिभू से उपलभ्य है, निम्नलिखित बातों के लिए सहमत होगा :—

(क) प्रतिभू को ऐसी कोई रकम संदत्त करना या उसके खाते में जमा करना, जो प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने की तारीख के पश्चात्, प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों की पूरी वसूली उसके द्वारा कर लिए जाने के पश्चात सोसाइटी से वसूल की जाएगी ;

(ख) ऐसे सब वचन-पत्रों या वसूल न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधार के बारे में उसे उपलभ्य हों, बैंक को देय सम्पूर्ण बकाया की उसके द्वारा वसूली के पश्चात भी तब तक प्रतिधारित रखना जब तक प्रतिभू द्वारा प्रतिपूरित रकम की वसूली न हो जाए :

(ग) इसकी द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक सम्मति-पत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना ;

(घ) यदि प्रतिभू द्वारा अपेक्षा की जाए तो अपने को देय बकाया की पूरी वसूली बैंक द्वारा कर लिए जाने के पश्चात सब ऐसे वचन-पत्रों या प्रतिभूतियों को प्रतिभू तथा/या उसके नाम-निर्देशिती को अन्तरित करना किन्तु यह तब जब कि प्रतिभू को उसके द्वारा दी गई रकम की प्रतिपूर्ति न की गई हो; और

(ङ) इसके उपाबद्ध प्रत्याभूति-विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक करार सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना, जैसा कि उसके खंड 5 में उपबन्ध किया गया है।

7. प्रतिभू की प्रत्याभूति सोसाइटी को मंजूर किए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों पर ब्याज के बारे में लागू नहीं होगी ।

8. खंड 6 के उपबन्धों के अनुसरण में बैंक की बाध्यताएं उस समय तक जारी रहेंगी जब तक वह रकम जिसकी प्रतिभू द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है प्रतिभू को चुका नहीं दी जाती या उसके नाम जमा नहीं कर दी जाती या जब तक प्रतिभू अपने द्वारा बैंक या सोसाइटी को संदेय किसी अन्य रकम लेखे उक्त रकम का समायोजन करने या उस रकम की वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

9. इस सोसाइटी की बाबत प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा बैंक द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा और यदि प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है तो उसका आसरा लेने के पश्चात कोई उधार या अग्रिम-धन उस सोसाइटी को दिया जाता है जिसकी ओर से कोई रकम बैंक को प्रतिभू द्वारा संदत्त की गई है, तो कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम-धन बैंक की अपनी जोखिम पर होगा था ऐसे अतिरिक्त उधार या अग्रिम-धन के लिए प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं होगा ।

10. 1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम-धन और 31 मार्च, 1974 को विद्यमान किसी उधार या अग्रिम-धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत नहीं की जायगी । प्रतिभू के दायित्व का पर्यवसान 31 मार्च, 1974 को कारबार बंद होने के समय हो जायगा।

11. प्रतिभू, ऐसे उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत, जिनके सम्बन्ध में यह प्रत्याभूति बैंक को उपलभ्य है, ऐसी जानकारी और विवरणियां बैंक से अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा और बैंक ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति में देगा जैसी प्रतिभू द्वारा विनिर्दिष्ट या अपेक्षित की जाएं ।

12. यदि इस करार से उद्भूत या इसके सम्बन्ध में या इसके अर्थ या निर्वचन के बारे में अथवा इस करार की बाबत अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद इसके पक्षकारों के बीच हो तो वह तत्समय भारत सरकार के अपर वित्त-सलाहकार (माध्यस्थम्) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और उक्त अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों में जिनसे यह प्रत्याभूति संबंधित है, कार्रवाई करनी पड़ी पड़ी थी या यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में वह उन सब बातों पर या उनमें से किसी पर, जिनके बारे में विवाद या मतभेद है, अपने विचार प्रकट कर चुका है। माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्ध या उसके कोई कानूनी उपान्तरण या पुनरविनियमन ऐसे माध्यस्थम् को लागू होंगे ।माध्यस्थम् की कार्यवाहियां उस स्थान पर की जाएंगी जिसे मध्यस्थ विनिश्चत करे । मध्यस्थ को यह हक होगा कि वह पंचाट करने का समय पक्षकारों की सम्मत्ति से समय-समय पर बढ़ा सके ।

13. इस प्रत्याभूति-विलेख पर यदि कोई स्टाम्प-शुल्क देय हो तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा ।

14. इसके साक्ष्यस्वरूप प्रतिभू बैंक ने यह विलेख ऊपर उल्लिखित दिन तथा वर्ष को सम्यक् रूप से निष्पादित कराया है ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से परिसर में कार्यशील भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (सहकारिता विभाग) में निदेशक (प्रत्याभूति तथा प्रचालन) के हस्ताक्षर ।

निम्नलिखित की उपस्थिति में :—

साक्षी (1)

(2)

द्वितीय अनुसूची

सम्मति-पत्र

सेवा में

1.————————बैंक ।

2. भारत के राष्ट्रपति ।

————————————@द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' कहा गया है)————————*को दिए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों के एक भाग में प्रतिसंदाय को प्रत्याभूत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के सहमत हो जाने के फलस्वरूप, हम एतद्द्वारा यह करार करते हैं कि कोई भी वचन-पत्र तथा माल की गिरवी या आडमान के रूप में कोई भी प्रतिभूति, जिसके अंतर्गत बही-ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सपत्ति भी हैं, जो ऐसे उधारों तथा अग्रिम-धनों के सम्बन्ध में हमने बैंक को दी है और हमारे द्वारा दी जाए, इस बात के होते हुये भी अस्तित्व में रहेगी तथा बैंक द्वारा प्रतिधारित की जा सकेगी कि राष्ट्रपति द्वारा बैंक को दी गई प्रत्या-

भूति के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने हमारे खाते में की किसी कमी को पूरा कर दिया है। हम यह और करार करते हैं कि—

(क) हम राष्ट्रपति की प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा बैंक को दी गई किसी रकम पर ब्याज, उसी दर से जिस दर से हम को दिए गए उधार या अग्रिम-धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, तब तक देते रहेंगे जब तक उक्त रकम राष्ट्रपति को संदत्त या उनके पक्ष में समायोजित नहीं कर दी जाती;

(ख) उस तारीख के पश्चात् जिसको राष्ट्रपति की प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति ने किसी रकम की प्रतिपूर्ति बैंक को की है, किन्तु राष्ट्रपति की प्रत्याभूतियों के अन्तर्गत आने वाले उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंक के दावे की पूरी पूरी तुष्टि हो जाने के पश्चात् और उस समय तक जबतक उन रकमों की, जिनकी राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है, उन पर ब्याज तथा प्रभारों सहित, हमारे द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उधार या अग्रिम-धन लेखे हमारे द्वारा दी गई या हमसे वसूल की गई सब रकमों को जमा करेंगे या जमा करने के लिए बैंक को अनुज्ञा देंगे;

(ग) ऐसे सब उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंकों के पक्ष में की गई प्रतिभूतियों के बारे में सभी अधिकार बैंक के पास रहेंगे और वह उनका प्रयोग करता रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के ऐसे सभी दावों की, जो खंड (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं; तुष्टि नहीं हो जाती; और

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों तथा दावों का बैंक उस दशा में राष्ट्रपति को अन्तरण करेगा यदि उनके द्वारा या उनकी ओर से ऐसी अपेक्षा की जाए।

*सोसाइटी का नाम

@बैंक का नाम

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 15 दिसंबर 1971

आदेश

सं० 53/1/70-सी० एल०-II—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (2) के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड, एतद्द्वारा भारत सरकार कंपनी कार्य विभाग के एक अधिकारी श्री डी० के० लाहिरी, सहायक निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209 के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करता है।

के० डी० घोष, अवर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसंबर 1971

विषय:—राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद

सं० एफ० 1-2/71 आर० एच० यू०-1—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 1-4/69 यू० 4 दिनांक 14 अगस्त, 1969 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् के गठन में एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवर्तनों को अधिसूचित किया जाता है।

(क) **पदेन**

1. श्री सिद्धार्थ शंकर रे (अध्यक्ष)
   शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री
   नई दिल्ली।
2. श्री एस० नरुल हसन (उपाध्यक्ष)
   राज्य शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री
   नई दिल्ली।
3. श्री टी० पी० सिंह (सदस्य)
   सचिव
   शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

आर० एम० चितकारा, उप शिक्षा सलाहकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसंबर 1971

सं० 71/आर० ई०/161/9—रेलवे लाइनों तथा परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं की सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि शिकोहाबाद (छोड़कर)—टूण्डला (छोड़कर) के बीच (निर्माण सं० कि० मी० 1213/961.45 से कि० मी० 1245/895.80 तक) 25,000 वोल्ट, 50 साइकल ए० सी० उपरी कर्षण तारों में 25 दिसंबर, 1971 को या इसके बिजली संचारित कर दी जाएगी। उस तारीख को और उस तारीख से ऊपरी कर्षण तार हर समय बिजली युक्त माने जाएंगे। अतः कोई अनधिकृत व्यक्ति उनके पास न जाए और न उनके सान्निध्य में काम करे।

सं० 71/आर० ई०/161/9—रेलवे लाइनों तथा परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं की सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इटावा-शिकोहाबाद के बीच (निर्माण सं० कि० मी० 1158/5 और 6 से कि० मी० 1213/961.45 तक) 25,000 वोल्ट, 50 साइकल ए० सी० ऊपरी कर्षण तारों में 6-7-1971 को बिजली संचारित कर दी गई है। उस तारीख को और उस तारीख से ऊपरी तार हर समय बिजली युक्त हैं। अतः किसी अनधिकृत व्यक्ति को उनके पास नहीं जाना चाहिए और न उनके सान्निध्य में काम करना चाहिए।

वेद प्रकाश साहनी, सचिव,
रेलवे बोर्ड

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसंबर 1971

संकल्प

सं० ई० एल०—तीन—13(17)/70—दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की विभिन्न मांगों की जांच करने के लिए श्री टी० शिवणंकर, आई० सी० एस० (निवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति के संबंध में इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई० एल०—तीन—13(17)/70, दिनांक 14 जनवरी, 1971 के अनुक्रम में यह फैसला किया गया है कि निम्नलिखित अतिरिक्त निर्देश पद समिति को उनकी सिफारिशों के लिए निर्दिष्ट किए जाएं :—

(1) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उत्पादन इंजीनियर तथा पर्यवेक्षक संघ की निम्नलिखित मांगों के लिए पर्याप्त औचित्य है :—

(क) उनके वेतनमानों का संशोधन।

(ख) समय-मान पदोन्नति को लागू करना।

(ग) सहायक नियंत्रकों को विशेष वेतन देना।

(घ) प्रचालन स्टाफ की भरती केवल सहायक नियंत्रक स्तर पर ही करनी।

(ङ) उत्पादन स्टाफ को वाहन भत्ता देना।

और यदि है तो इस सम्बन्ध में सुझाव देना।

(2) समिति ऐसी सामान्य सिफारिशें भी करेगी जो कि इंजीनियरों और स्टाफ में संतोष की भावना उत्पन्न करने के लिए वांछनीय या उचित समझी जाती हो।

2. यह फैसला किया गया है कि समिति की कार्यविधि को, जो कि इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई० एल०—तीन—13(17)/70, दिनांक 20-7-1971 के द्वारा 14 नवंबर, 1971 तक बढ़ाई गई थी, 29-2-72 तक और बढ़ाया जाए। समिति की रिपोर्ट सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, को 29 फरवरी, 1972 तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

आदेश

सं० ई० एल०—तीन—13(17)/70—आदेश दिया जाता है कि उपयुक्त संकल्प को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक और दिल्ली प्रशासन को प्रेषित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्री ना० विश्रे, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली—1, दिनांक 8 दिसंबर 1971

सं० ए०—18015/30/71—एफ० एस० सी०—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 7/51/69-एफ० आई० (एन० ए०), तारीख 7 मई, 1971 में प्रकाशित फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1), (2) तथा (3) और नियम 23 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की केन्द्रीय समिति तथा प्रादेशिक समितियों—1970 द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित फिल्मों, निर्माताओं, निर्देशकों, कलाकारों तथा तकनीशियनों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है :

संख्या	फिल्म का नाम	पुरस्कार विजेता का नाम	पुरस्कार
1	2	3	4
	1. अखिल भारतीय पुरस्कार		
फीचर फिल्में			
1.	**राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म पुरस्कार :** "संस्कार" (कन्नड़)	**निर्माता तथा निर्देशक** श्री टी० पी० रामा रेड्डी 20-बी, सैन्ट मार्क्स रोड, बंगलौर—1.	राष्ट्रपति का स्वर्णपदक तथा 40,000 रुपए (चालीस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।

1	2	3	4
2.	**द्वितीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार :**		
	"प्रतिद्वन्दी"	**निर्माता**	
	(बंगला)	श्री नेपाल दत्त तथा अशीमदत्त, 95, रास बिहारी एवेन्यू, कलकत्ता–29	15,000 रुपए (पंद्रह हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
		निर्देशक	
		श्री सत्यजीत राय 1/1, विशप लेफ्राय रोड, कलकत्ता–20	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
3.	**राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार :**		
	"तुरक्कता वातिल"	**निर्माता**	
	(मलयालम)	श्री ए० रघुनाथ, 1–10–121, बेगमपेट, हैदराबाद–16	30,000 रुपए (तीस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
		निर्देशक	
		श्री पी० भास्करन, 1–ए, डा० थामस रोड़, मद्रास–17	10,000 रुपए (दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
4.	**निर्देशन में उत्कृष्टता का पुरस्कार :**		
	"प्रतिद्वन्दी"	**निर्देशक**	
	(बंगला)	श्री सत्यजीत राय 1/1, विशप लेफ्राय रोड, कलकत्ता–20	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
5.	**सिनेमाटोग्राफी 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' में उत्कृष्टता का पुरस्कार :**		
	"उसकी रोटी"	**कैमरामैन**	
	(हिन्दी)	श्री के० के० महाजन, 1/138 नार्थ बंबई, हाउसिंग सोसायटी, जूहू, बम्बई–54.	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
6.	**सिनेमाटोग्राफी रंगीन में उत्कृष्टता का पुरस्कार:**		
	"मेरा नाम जोकर"	**कैमरामैन**	
	(हिन्दी)	श्री राधू करमाकर, ब्लाक नं० 5, फ्लैट नं० 69, सिओ वेस्ट, बंबई–22	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
7.	**वर्ष का सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले पुरस्कार**		
	"प्रतिद्वन्दी"	**स्क्रिप्ट लेखक**	
	(बंगला)	श्री सत्यजीत राय 1/1 विशप लेफ्राय रोड कलकत्ता–20	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
8.	**वर्ष का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार:**		
	"दस्तक"	**अभिनेता**	
	(हिन्दी)	श्री संजीव कुमार, प्रवीण विला, डा० अम्बेदकर रोड, बंबई–50	एक छोटी मूर्ति (भरत पुरस्कार)

1	2	3	4
9.	वर्ष का सर्वोत्तम अभिनेत्री पुरस्कार : "दस्तक" (हिन्दी)	कुमारी रेहाना सुल्तान, नजीरवाडी, जुहू, बंबई।	एक छोटी मूर्ति (उर्वशी पुरस्कार)
10.	वर्ष का सर्वोत्तम गायक पुरस्कार : "निशी पद्मा" (बंगला) तथा "मेरा नाम जोकर" (हिन्दी)	गायक श्री मन्नाडे, मेहरकोर्ट, प्लाट नं० 54, डा० अलमेडा रोड, बान्द्रा, बंबई–50	एक प्रशस्ति चिह्न।
11.	वर्ष का सर्वोत्तम पार्श्व गायिका पुरस्कार : "जय जयन्ति" (बंगला) तथा "निशी पद्मा" (बंगला)	गायिका श्रीमती संध्या मुखर्जी, 146/10, लेक गार्डन्स, कलकत्ता–31	एक प्रशस्ति चिह्न।
12.	वर्ष का सर्वोत्तम बाल अभिनेता पुरस्कार : "मरा नाम जोकर" (हिन्दी)	बाल अभिनेता मास्टर ऋषि कपूर, द्वारा आर० के० फिल्म्स तथा स्टूडियो, चेम्बूर, बंबई–71.	एक प्रशस्ति चिह्न।
13.	वर्ष का सर्वोत्तम संगीत निर्देशक पुरस्कार : (धुनों की मौलिकता के लिए पुरस्कार) "दस्तक" (हिन्दी)	संगीत निर्देशक श्री मदन मोहन शान्ति भवन, पेडुर रोड़, बंबई–26.	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
14.	सर्वोत्तम सामाजिक डाकूमेन्टेशन फिल्म : "लेटेन्ट" (अंग्रजी)	निर्माता मसर्स फिल्म–ओ–पब, 140/4ए/1 नेताजी, सुभाष चन्द्रबोस रोड़, कलकत्ता–40 निर्देशक श्री बिप्लब रे चौधरी, 140/4ए/1 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड़, कलकत्ता–40	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक। 2,000 रुपए (दो हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न।
	प्रादेशिक पुरस्कार		
15.	फीचर फिल्में : "आनन्द" (हिन्दी)	निर्माता 1. श्री एन० सी० सिप्पी, "बिंदिया", दि बी–2 कपोले कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०, जुहू विले पार्ले स्कीम, बंबई–56. 2. श्री हृषिकेश मुखर्जी, 123/ए, कार्टर रोड़ बान्द्रा, बंबई–50.	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।

1	2	3	4
		निर्देशक श्री हृषिकेश मुखर्जी, 123/ए, कार्टर रोड़,बांद्रा; बंबई–50	एक पदक
16.	"मुम्बईचा जवाइ" (मराठी)	निर्माता श्री तुषार प्रधान, मक्रांड कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, काडेल रोड, महीम, बंबई–16. निर्देशक श्रीमती राजा ठाकुर 423, शवर पेठ, पूना–2	5000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार एक पदक
17.	"मल्यादान" (बंगला)	निर्माता 1. श्री अजय कर, 1393 बी रासबिहारी एवेन्यू, कलकत्ता–29 2. श्री विम्ल दे, 13 सी, पालिट स्ट्रीट, कलकत्ता–19. निर्देशक श्री अजय कर, 139–बी, रास बिहारी एवेन्यू, कलकत्ता–29	5000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार एक पदक
18.	"देशमन्टे पतुसलोइ" (तेलुगू)	निर्माता श्री के० एस० के० नायडू, तथा जी० के० नायडू मेसर्स फिल्म क्रापर्टस, 47, नार्थ उस्मान रोड, मद्रास–17 निर्देशक श्री सी० एस० राव बी० ए० (लिट) मिनर्वा, विजय राघवचारी रोड, मद्रास–17	5000 रुपए (पांच हजार रुपए का नकद पुरस्कार एक पदक
19.	"रामन एत्तनै रामनड़ी (तमिल)	निर्माता तथा निर्देशक श्री पी० माधवन, 3, ईलगो सलाई, मद्रास–18	5000 (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक
20.	"एजुतात कथा" (मलयालम)	निर्माता मैसर्स जय मारुति,पिक्चर्स नं० 11, गोपाल कृष्ण रोड़, टी नगर, मद्रास–17	5000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार

1	2	3	4
		निर्देशक श्री ए० बी० राज, नं० 8, थर्ड मेन रोड, यूनाइटिड इंडिया कालोनी, मद्रास–24	एक पदक
21.	"नगुआ" हूबु (कन्नड़)	निर्माता श्री आर० एन० सुदर्शन, मैसर्स श्री सुदर्शन चित्रालय, 107 बानूमियां चौक, मैसूर	5000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार
		निर्देशक श्री आर० एन० के० प्रसाद, 55, सैकेन्ड मेन रोड़, राजा अन्नमलाईपुरम, मद्रास–28	एक पदक

दादा साहब फालके पुरस्कार :

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) तथा नियम 15 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1971 का दादा साहब फालके पुरस्कार श्री बी० एन० सरकार को, भारतीय सिनेमा के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए, देने का निर्णय किया है। पुरस्कार 11,000 रुपए (ग्यारह हजार रुपए) के नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिह्न और एक शाल का है।

के० के० खान, अवर सचिव,

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर 1971

सं० क्यू०–16011(14)/71 डब्ल्यू० ई०—भारत सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियम और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में श्री बी० बी० कामथ, अवैतनिक सचिव, औद्योगिक संपर्क परिषद् हीरा महल, 171 शिवाजी पार्क, रोड़ संख्या 5, बंबई–16 को, जो केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के एक सदस्य हैं, उक्त बोर्ड के शासी बोर्ड में श्री पी० बी० अडवानी के स्थान पर एक सदस्य बनने के लिए नामित करती है।

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली दिनांक 17 दिसंबर 1971

संकल्प

सं० ए०-11016/1/70-एल० आर०-4—भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खंड 1, तारीख 19 जुलाई 1969 में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प संख्या 31/7/68–एल० आर०–4 तारीख 19 जुलाई 1969 द्वारा स्थापित स्वचालन समिति की मियाद, जो भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित संकल्प संख्या ए–11016/1/70–एल० आर०–4 तारीख 16 सितंबर, 1971 द्वारा जो पहले 31 दिसंबर, 1971 तक बढ़ाई गई थी, एतद्द्वारा 30 जून, 1972 तक या समिति का कार्य पूर्ण हो जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले पड़ती हो, और आगे बढ़ाई जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों और सभी अन्य संबंधित कार्यालयों को भेजी जाएं।

आर० आनन्दाकृष्ण, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 21st December 1971

No. 85-Pres./71.—Corrigendum—In this Secretariat Notification No. 26-Pres./69, dated 18th November, 1968, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 24th May, 1969 :—

(1) In clause Secondly under the heading UNNAT RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL—

For ".....the inscription in Hindi" उन्नत रक्षा सुरक्षा कौर मैडल" along the periphery."

Read ".....the inscription "UNNAT RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL", both in Hindi and English, along the periphery."

(2) In clause Secondly under the heading RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL—

For ".....the inscription in Hindi "रक्षा सुरक्षा कौर मैडल" along the periphery."

Read ".....the inscription "RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL", both in Hindi and English, along the periphery."

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

KRISHI MANTRALAYA

Sahkarita Vibhag

New Delhi, the 7th December 1971

No. O.17011/9/71-GOP.—The Government of India notified a scheme of guarantees to enable the holesale Consumer Cooperative Stores and State and National Federations of Consumer Cooperatives to secure adequate working capital from banking agencies in their Notification No. 1-25/65-CC dated the 27th May, 1966. Under this Scheme, a limited guarantee, for a temporary period, is provided to Apex and District Central Cooperative Banks and to any bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, in respect of secured advances made by them to these cooperative societies. The Scheme is operative upto the 31st December, 1971.

2. The question of continuance of a guarantee scheme was considered by the Government of India, having regard to the need of the Consumer Cooperatives for credit facilities from banks on reduced margins, and the recommendations made in this behalf by the Conference of Registrars of Cooperative Societies held in September, 1970, and of State Ministers of Cooperation held in October, 1970, and it has been decided to operate a scheme of guarantees, with some modifications, for a further period from 1-1-1972 to 31-3-1974. In pursuance of this decision, the Government of India will consider entering into agreements with the aforesaid banks on the following terms and conditions :

3. The Central Government guarantee will be available only in respect of secured loans and advances granted for specific periods ,with the prior approval in writing of the Surety, against pledge or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, investments and other movable property, before the 1st April, 1974, to Wholesale Consumer Cooperative Stores and State and National Federation of Consumer Cooperatives. The banks have to keep a margin of 10% only on such loans and advances. The amount of the Central Government's guarantee in respect of any such loan or advance to any society will be limited to :—

(i) 25% of the amount of all loans and advances actually outstanding on the books of the Bank against the society on the date on which the notice of demand is issued by the Bank in accordance with the terms of the agreement;

OR

(ii) Rs. 75 lakhs (Rupees seventyfive lakhs) in the case of the National Federation, Rs. 50 lakhs (Rupees fifty lakhs) in the case of a State Federation and Rs. 25 lakhs (Rupees twentyfive lakhs) in the case of a society having its principal place of business in Greater Bombay, Calcutta Madras, Delhi, Hyderabad, Bangalore or Ahmedabad and Rs. 15 lakhs (Rupees fifteen lakhs) in the case of any other society, whichever amount is less.

4. The guarantee in pursuance of this Notification will be available only in respect of secured loans and advances granted, for speci fic periods, with the prior approval in writing of the Central Government before the 1st April, 1974. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1974, and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1974, shall be covered by the guarantee. The Central Government's liability on account of this guarantee shall be become determined at the close of business on the 31st March, 1974.

5. The Society shall enter into an agreement with the President of India in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee, annexed hereto, undertaking :—

(a) to pay the dues of the bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;

(b) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;

(c) to guarantee to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the bank on demand without demur;

(d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;

(e) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions, and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;

(f) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss account and balance-sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working, and submit a copy of it to the Central Government every quarter;

(g) to provide all facilities to the Central Government or any person or persons nominated b yit in this behalf to examine the accounts of the society and its working; and

(h) to carry out any instructions, which the Central Govt. may issue in regard to any aspect of the working of the society, within a reasonable time.

The agreement shall be executed before the date of drawal of the money. The Bank shall not make any payment unless the signed agreement and the Letter of Consent in the form provided in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished.

6. The Central Government's guarantee does not extend to the interest on the loans and advances granted by banks.

7. Every bank shall continue to hold all the promissory notes and unrealised securities which may be available to the bank in respect of such loans granted by it to the society, even after realisation by it in full of the outstanding due to it in respect of the loans and advances advanced by it under the Central Government guarantee ,till the amount remibursed by the Central Government as guarantor is realised.

8. The bank shall obtain from the society and furnish to the Central Government, a Letter of Consent by the society as in the Second Scheduled to the Deed of Guarantee, to the effect that the Society agrees to :—

(a) continue to pay interest on any amount paid to the bank by the Central Government in pursuance of the guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the bank on the loan or advance made to the society, until the said amount is paid to or adjusted in favour of the Central Government;

(b) credit or permit the bank to credit all the amounts paid by or recovered from the society on account of the loan or advance, after the date on which the Central Government have reimbursed any amount to the bank in pursuance of the guarantee, but after the bank's claim in respect of the loans and advances covered by the guarantee has been fully satisfied and

so long as the amounts reimbursed by the Central Government together with the interest and charges thereon have not been reimbursed by the society;

(c) the bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the Central Government are satisfied; and

(d) the bank transferring its rights and claims under such securities to the Central Government if so required by the latter.

9. The Central Government's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the bank in respect of a particular society. The guarantee may be invoked at any time before the 1st April, 1974. The bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amounts due to it on account of the loans and advances guaranteed by the Central Government, within 30 days of the date of the notice. On the expiry of this period, if the society does not make payment of the amounts, the bank may issue a notice of demand on the Central Govt. The Central Govt. shall reimburse to the bank the amount payable to it under the guarantee, within a period of 90 days from the date of receipt of the bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

10. The bank, seeking a guarantee in pursuance of this Notification, shall, in the event of the Government's guarantee being invoked in the case of any loan or advance, undertaken to credit to the Central Government any sums which may be realised from the society after the bank has realised from the society in full the loans and advances guaranteed by the Central Govt. It shall be obligatory on the bank to take action in the above manner after the Central Government has reimbursed the amount under the guarantee.

11. The obligations of the bank referred to in the above clauses shall continue until such time as the amount reimbursed by the Central Government under the guarantee has been paid or credited to the Central Government or until the Central Govt. has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the bank or to the society or to waive recovery of the amount.

12. The Director (Guarantee & Operations), Department of Cooperation, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi, or in his absence any other Director in the Consumer Cooperative Division, in the same Ministry will be the authority to enter into the prescribed agreement of guarantee with the banks for the Central Government guarantee in pursuance of this Notification. All banks referred to in the Notification are advised to contact the Director (Guarantee & Operations), Department of Cooperation, Ministry of Agriculture, in case they wish to avail themselves of the facility provided by the Central Government.

A. DAS, Jt. Secy

ANNEXURE I

DEED OF GUARANTEE

THIS DEED OF GUARANTEE entered into on the.....day of.....19 between the President of India (hereinafter called "the Surety") of the one part and the.....Ltd., a Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)/a Corporation constituted under the State Bank of India Act 1955 (23 of 1955)/a Corporation constituted under the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959)/the State Bank of Hyderabad Act, 1956 (79 of 1956)/ the State Bank of Saurashtra Act, 1950/a cooperative society registered under.....and having its.....office at.....(hereinafter called "the Bank") of the other part witnesseth as follows :—

In consideration of the Bank, making loans and advances to.....(hereinafter called the 'Society') at the latter's request, after relaxing, modifying or waiving the normal procedures, practices, margins or other requirements which the Bank, but for this guarantee, might have normally or as a matter of practice or by way of prudence or for the better protection of the Bank's rights and interests followed or required the Society to accept, observe or follow, the Surety hereby guarantees to the Bank to the extent hereinafter provided the repayment of loans and advances by the Society to the Bank subject to the terms and conditions hereinafter mentioned :

1. The Surety's guarantee will be available only in respect of any secured loan or advance granted for specific periods to the Society with the prior approval in writing of the Surety by the Bank before the 1st of April, 1974, against the pledge or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, investments and other movable property. The bank agrees to keep a margin of only 10% against such loans and advances.

2. The Surety's liability in respect of any loan or advance granted as above to the said Society shall not at any time exceed :—

(i) twenty five per cent of the amount of all the loans and advances actually outstanding on the books of the Bank against the Society on the date on which the notice of demand on the Surety is issued by the Bank in accordance with the provisions of the Clause (3) hereof :

OR

(ii) Rs.....lakhs whichever amount is less.

3. The Bank may invoke the Surety's guarantee at any time before the 1st of April, 1974, in the manner hereinafter specified, namely,

(i) The Bank shall first issue a notice of demand on the Society to pay the amount due to it on account of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the Bank,

(ii) If on the expiry of the period of 30 days as aforesaid, the Society does not make payment of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, the Bank shall issue a notice of demand on the Surety,

(iii) The Bank shall, while invoking the Surety's guarantee, furnish to the Surety :—

(i) details of the goods, against which loan or advance in respect of which the guarantee is involved has been granted,

(ii) the market value of the said goods, and

(iii) the amounts outstanding against the Society as at :—

(a) the date on which the notice asking for repayment was issued to the Society by the Bank, and

(b) the expiry of thirty days of the date of notice asking for repayment, and

(iv) The Surety shall reimburse to the Bank the amount due to it to the extent provided in this guarantee within a period of 90 days, from the date of receipt by the Surety of the Bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

4. The guarantee herein contained shall be enforceable against the Surety notwithstanding that any securities that the Bank may obtain from the Society shall be outstanding or unrealised.

5. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form annexed in the First Schedule to the Deed of Guarantee, undertaking :—

(a) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;

(b) to carry on the business of the society deligently with a view to making profit;

(c) guaranteeing to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Government or account of any default on the part of the society to make payment to the Bank, on demand without demur;

(d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;

(e) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;

(f) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss account and balance-sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Surety every quarter;

(g) to provide all facilities to the Surety or any person or persons nominated by it in this behalf to examine its accounts and its working; and

(h) to carry out any instructions which the Surety may issue in regard to any aspect of the working of the society, within a reasonable time.

The Bank shall not make any poyment to the Society unless the agreement in the proforma in the First Schedule and the Letter of Consent as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished to it duly executed by the parties.

6. The bank shall agree, in consideration of the guarantee which is available to it from the Surety :—

(a) to pay or credit to the account of the Surety and amount which will be realised from the Society after the date on which the Surety has reimbursed the amount guaranteed, after it has realised in full the loans and advances guaranteed by the Surety;

(b) to retain all the promissory notes or unrealised securities which may be available to the Bank in respect of the loan granted by it to the Society even after realisation by it in full of the outstandings due to it, till the amount reimbursed by the Surety is realised;

(c) to obtain from the Society and to furnish to the Surety, a letter of consent in the form provided in the Second Schedule hereto;

(d) if so required by the Surety, to transfer all such promissory notes or securities to the Surety, and/or his nominee, after the Bank has realised in full the outstanding due to it, but if the Surety has not been reimbursed the amount paid by it; and

(e) to obtain from the Society and furnish to the Surety an agreement in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee annexed hereto, as provided in the clause 5 hereto.

7. The Surety's guarantee will not extend to the interest on the loans and advances sanctioned to the Society.

8. The obligations of the Bank in pursuance of the provisions of clause (6) shall continue until such time as the amount reimbursed by the Surety has been paid or credited to the Surety, or until the Surety has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the Bank or to the Society or to waive the recovery of the amount.

9. The Surety's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the Bank in respect of this Society and if or after the Surety's guarantee has been invoked, any loan or advance is granted to the Society on whose behalf any amount has been paid to the Bank by the Surety, any such loan or advance shall be at the Bonk's own risk and the Surety will have no liability on account of such further loan or advance.

10. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1974, and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1974, will be guaranteed by the Surety. The Surety's liability shall become determined at the close of business on the 31st March, 1974.

11. The Surety shall be entitled to obtain from the Bank such information and returns relating to the loans and advances, in respect of which this guarantee is available to the Bank and the Bank shall furnish such information or returns at such intervals and in such manner as may be specified or required by the Surety.

12. If there is any difference or dispute between the parties hereto, arising out of or in connection with this agreement or concerning the meaning or interpretation thereof or otherwise howsoever in relation to this agreement, the same shall be referred to the sole arbitration of the person holding for the time being the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) to the Government of India and decision of the said officer shall be final and binding on both the parties. It will be no objection that the arbitrator is a Government servant, that he had to deal with the matters to which this guarantee relates or that, in course of his duties as a Government servant, he has expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The provisions of the Arbitration Act, 1940, or any statutory modification or re-enactment thereof shall apply to such arbitration. The arbitration proceedings shall be held at such place as the Arbitrator may decide. The Arbitrator shall be entitled with the consent of the parties, to extend from time to time for making the award.

13. The Stamp duty, if any, payable on this Deed of Guarantee shall be borne by the President of India.

14. In witness whereof the Surety and the Bank have caused these presents to be duly executed the day and year above mentioned.

Signature of the Director (Guarantee & Operations) in the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Cooperation) acting in the premises for and on behalf of the President of India.

In the presence of :—

(1)

Witness .

(2)

FIRST SCHEDULE

AGREEMENT

This agreement made this———— day of ———— between ———— the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter called "The Central Government" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in office and assigns) of the one Part and————, a cooperative society registered under the ———— ———— and having its registered/central/ head office at ———— (hereinafter referred to as "The Society" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its executors, administrators, representatives and permitted assigns and successors) on the other part, witnesseth as follows :—

In consideration of———— Bank Ltd., making loans, advances, cash credit limits and other banking facilities and accommodations to the Society, *inter-alia*, on the Central Government guaranteeing repayment of a part of the loan and advance made to the society by the Bank, the Society hereby undertakes to the Central Government :—

(i) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;

(ii) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;

(iii) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;

(iv) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;

(v) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss account and balance-sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a

quarterly management report on the society's working, and submit a copy of it to the Central Government every quarter.

(vi) to provide all facilities to the Central Government or any person or persons nominated by it in this behalf to examine its accounts and its working; and

(vii) to carry out any instructions, which the Central Government may issue in regard to any aspect of the working of the society, within a reasonable time.

2. The Society guarantees to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Government on account of any default on the part of the Society on demand without demur.

3. Alldisputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement, excepting Clause 2 above shall be referred to the sole arbitration of the person holding the post of Additional Legal Adviser (Arbitration), Government of India. It will be no objection that the arbitrator is a Government servant or that he had expressed views in all or any of the matters in dispute or difference. The provisions contained in the Indian Arbitration Act shall apply to such arbitrations. The award of the Arbitrator shall be final and binding on both the parties.

Signed by (name and designation)
for and on behalf of the
PRESIDENT OF INDIA
Signed by the Authorised
representative(s) of the
Society.
(name and designation)
Witnesses :—

1.
2.

SECOND SCHEDULE

LETTER OF CONSENT

To

1. .... Bank
2. President of India.

In consideration of the President of India (hereinafter referred to as the President) having agreed to guarantee the repayment of a part of the loans and advances made to the (Name of Society) .... by the (Name of the Bank) ..... (hereinafter referred to be the Bank"), we hereby agree that any promissory note and any security by way of pledge, or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, investments and other movable property, that we have given and may give to the Bank in connection with such loans and advances shall be subsisting and may be retained by the Bank, notwithstanding the fact that in pursuance of the guarantee given to the Bank by the President, the President may have made good any deficit in our account. We further agree —

(a) to continue to pay interest on any amount paid to the Bank by the President in pursuance of the President's guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the Bank on the loan or advance made to us till the said amount is paid to or adjusted in favour of the President;

(b) to credit or to permit the Bank to credit all the amounts paid by or recovered from us on account of the loan or advance. after the date on which the President has reimbursed any amount to the Bank in pursuance of the President's guarantee but after the Bank's claim in respect of the loans and advances covered by the President's guarantees has been fully satisfied and so long as the amounts reimbursed by the President together with the interest and charges thereon have not been reimbursed by us;

(c) to the Bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the Bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the President as are referred to in clause (b) are also satisfied; and

(d) to the Bank transferring its rights and claims under such securities to the President, if so required by or on his behalf.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

New Delhi-1, the 15th December 1971

ORDER

No. 53/1/70-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri D. K. Lahiri Assistant Inspecting Officer, Calcutta, an Officer of the Government of India, Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209.

K. D. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 15th December 1971

SUBJECT : *National Council for Rural Higher Education*

No. F. 1-2/71-RHU-1.—In partial modification of this Ministry notification No. F. 1-4/69-U4 dated 14th August, 1969, the following changes in the composition of the National Council for Rural Higher Education are hereby notified :

(a) *Ex-Officio*

1. Shri Sidhartha Shankar Ray,
Minister of Education and Social Welfare
New Delhi. *(Chairman)*

2. Shri S. Nurul Hasan,
Minister of State in the Ministry of
Education and Social Welfare,
New Delhi. *(Vice-Chairman)*

3. Shri T. P. Singh,
Secretary,
Ministry of Education and Social Welfare *(Member)*

R. S. CHITKARA,
Dy. Educational Adviser

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 16th December 1971

No. 71/RE/161/9.—It is hereby notified for the general information of all users of Railway lines and premises, that 25,000 Volts 50 Cycles A.C. overhead traction wires between Shikohabad (Excl.)—Tundla (Excl.) from (Structure No. KM 1213/961.45 to KM 1245/895.80) will be energised on or after 25th December, 1971. On and from the same date, the overhead traction lines shall be treated as live at all times and no unauthorised person shall approach or work in the proximity of it.

No. 71/RE/161/9.—It is hereby notified for the general information of all users of Railway lines and premises that 25,000 Volts, 50 Cycles A.C. overhead traction wires between Etawah-Shikohabad from (Structure No. KM 1158/5 & 6 to KM 1213/961.45) has been energised on 6-7-1971. On and from the same date the overhead lines are live at all times and no unauthorised person should approach or work in the proximity of it.

V. P. SAWHNEY, Secy. Rly. Board

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 11th December 1971

RESOLUTION

No. EL.III-13(17)/70.—In continuation of this Ministry's Resolution No. EL.III-13(17)/70 dated the 14th January, 1971 relating to the appointment of a Committee under the Chairmanship of Shri T. Sivasankar, ICS (Retd.) to enquire into

the various demands of the Engineers of Delhi Electric Supply Undertaking, it has been decided to refer the following additional terms of reference to the committee for their recommendations :

Whether there is sufficient justification for the following demands of the Generation Engineers and supervisors Association of Delhi Electric Supply Undertaking :—

(i) (a) Revision of their pay scales;

(b) Introduction of time-scale promotion;

(c) Grant of special pay to the Asstt. Controllers;

(d) Recruitment of operational staff to be done only at Asstt. Controller level;

(e) Grant of conveyance allowance to the Generation staff.

and if so, the recommendations in this regard

(ii) The Committee shall also make such general recommendations as may be considered desirable or relevant to promote contentment amongst the Engineers and staff.

2. It has been decided that the term of the committee which was extended to 14th November, 1971 *vide* this Ministry Resolution No. EL.III-13(17)/70 dated the 20th July 1971 be further extended upto 29-2-72. The report of the committee will now be submitted to the Government of India in the Ministry of Irrigation & Power by the 29th February, 1972.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to Delhi Electric Supply Undertaking, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Secretary to the Vice-President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India and the Delhi Administration.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. N. VINZE, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

New Delhi, the 8th December 1971

No. A-18015/30/71-*FFC*—It is hereby notified that in pursuance of sub rule I, II and III of Rule 3 and Rule 23 of the Rules for the National Awards for Films, published in Ministry of Information and Broadcasting Resolution No. 7/51/69-Fl (NA) dated the 7th May, 1971 the Central Government have, on the basis of the recommendations submitted by the Central Committee and the Regional Committees of National Awards for Films—1970 decided to give awards to the following films, producers, Directors, Artiss, and Technicians, namely:—

S. No.	Title of film	Name of the Award Winner	Award
1	2	3	4
		I. ALL INDIA AWARDS	
	FEATURE FILMS		
1.	*National best feature film award* "Samskara" (Kannada)	*Producer and Director* Shri T. P. Rama Reddy, 20-B, Saint Marks Road, *Bangalore*-1.	President's Gold Medal and Cash Prize of Rs. 40,000 (Rupees forty thousand) only.
2.	*Special award for the second best feature film* "Pratidwandi" (Bengali)	*Producers* Shri Nepal Dutta and Ashim Dutta, 95, Rash Behari Avenue, *Calcutta*-29.	Cash prize of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) only and a medal.
		Director Shri Satyajit Ray, 1/1, Bishop Lefroy Road, *Calcutta*-20.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
3.	*Special award for the best feature film on National Integration* Thurakkatha Vathil" (Malayalam)	*Producer* Shri A. Raghunath, 1-10-121, Begumpet, *Hyderabad*-16.	Cash prize of Rs 30,000/- (Rupees thirty thousand) only and a Medal.
		Director Shri P. Bhaskaran, 1-A, Dr. Thomes Road, *Madras*-17.	Cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) only and a plaque.
4.	*Award for excellence in direction* "Pratidwandi" (Bengali)	*Director* Shri Satyajit Ray, 1/1, Bishop Lefroy Road, *Calcutta*-20.	Cash prize of Rs 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
5.	*Award for excellence in cinematography Black and White* "Uski Roti" (Hindi)	*Cameraman* Shri K. K. Mahajan, 1/138, North Bombay Housing Society, Juhu, *Bombay*-54.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
6.	*Award for Excellence in cinematography Colour* "Mera Nam Joker" (Hindi)	*Cameraman* Shri Radhu Karmakar, Block No. 5, Flat No. 69, Sion West, *Bombay*-22.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.

1	2	3	4
7.	*Best screen-play of the year award* "Pratidwandi" (Bengali)	*Script Writer* Shri Satyajit Ray, 1/1, Bishop Lefroy Road, *Calcutta*-20.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
8.	*Best actor of the year award* "Dastak" (Hindi)	*Actor* Shri Sanjeev Kumar, Praveen Vila, Dr. Ambedkar Road, *Bombay*-50.	A figurine (Bharat Award).
9.	*Best actress of the year award* "Dastak" (Hindi)	*Actress* Miss Rehana Sultan, Nazir Wadi, Juhu, *Bombay*.	A figurine (Urvashi Award).
10.	*Best male play-back singer of the year award* "Nishi Padma" (Bengali) and "Mera Nam Joker" (Hindi)	*Male singer* Shri Mannadey, Mehar Court, Plot No. 54, Dr. Almeida Road, Bandra, *Bombay*-50.	A plaque.
11.	*Best female play-back singer of the year award* "Jay Jayanti" (Bengali) and "Nishi Padma" (Bengali)	*Female singer* Smt. Sandhya Mukherjee, 146/10, Lake Gardens, *Calcutta*-31.	A plaque
12.	*Best Child Actor of the year award* "Mera Nam Joker" (Hindi)	*Child Actor* Master Rishi Kapoor, C/o R. K. Films and Studio, Chembur, *Bombay*-71.	A plaque.
13.	*Best music director of the year* *An award to recognise the originality of score.* "Dastak" (Hindi)	*Music Director* Shri Madan Mohan, Shanti Building, Peddar Road, *Bombay*-26.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
14.	*Best Social Documentation film* "Latent" (English)	*Producer* M/s. Film-o-Pub 140/4A/1, Netaji Subhash Chandra Bose Road, *Calcutta*-40. *Director* Shri Biplab Ray Chaudhuri, 140/4A/1, Netaji Subhash Chandra Bose Road, *Calcutta*-40.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal. Cash prize of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) only and a plaque.
		REGIONAL AWARDS	
15.	*Feature films* "Anand" (Hindi)	*Producers* 1. Shri N. C. Sippy, 'Bindiya' The B-2 Kapole Co-operative Housing Society Ltd., Juhu, Vile Parle Scheme, *Bombay*-56. 2. Shri Hrishikesh Mukherjee, 123/A, Carter Road, Bandra, *Bombay*-50. *Director* Shri Hrishikesh Mukherjee 123/A, Carter Road, Bandra, *Bombay*-50.	Cash Prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only A Medal.
16.	"Mumbaicha Jawai" (Marathi)	*Producer* Shri Tushar Pradhan, Makrand Co-operative Housing Society Limited, Cadel Road, Mahim, *Bombay*-16. *Director* Shri Raja Thakur, 423, Shanwar Peth, *Poona*-2.	Cash prize of Rs. 5000/- (Rupees five thousand) only. A Medal.
17.	"Mulyadan" (Bengali)	*Producers* 1. Shri Ajoy Kar, 139-B, Rashbehari Avenue, *Calcutta*-29. 2. Shri Bimal Dey, 13-C, Palit Street,	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.

1	2	3	4
		Calcutta-19. *Director* Shri Ajoy Kar, 139-B, Rashbehari Avenue, *Calcutta*-29.	A Medal.
8.	"Desamante Manushuloi" (Telugu)	*Producer* Shri K. M. K. Naidu and Shri G. K. Naidu, M/s. Film Crafts, 47, North Usman Road, *Madras*-17. *Director* Shri C. S. Rao, B.A. (Litt.), Minerva, Vijayaraghavachari Road, *Madras*-17.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only. A Medal.
19.	"Raman Ethanai Ramanadi" (Tamil)	*Producer and Director* Shri P. Madhavan, 3, Elango Salai, *Madras*-18.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
20.	"Ezhuthatha Katha" (Malayalam)	*Producer* M/s. Jai Maruthy Pictures, No. 11, Gopalakrishna Road, 'T' Nagar, *Madras*-17. *Director* Shri A. B. Raj, No. 8, IIIrd Main Road, United India Colony, *Madras*-24.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only. A Medal.
21.	"Naguva Hoovu" (Kannada)	*Producer* Shri R. N. Sudarshan, M/s. Shree Sudarshan Chitralaya, 107, Banumiah Chowk, *Mysore*. *Director* Shri R. N. K. Prasad, 55, Second Main Road, Raja Annamalaipuram, *Madras*-28.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only. A Medal.

DADASAHEB PHALKE AWARD :

In pursuance of sub rule IV of Rule 3 and Rule 15 of the Rules for National Awards the Central Government have decided to confer the Dadasaheb Phalke Award on Shri B. N. Sircar for the year 1971 for outstanding contribution to the cause of Indian Cinema. The award carries a cash prize of Rs. 11,000/- a plaque and a Shawl.

K. K. KHAN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

Department of Labour & Employment

New Delhi, the 6th December 1971

No. Q-16011(4)/71-*WE*.—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominate Shri V. B. Kamath, Honorary Secretary, Industrial Relations Council, Hira Mahal, 171 Shivaji Park Road No. 5, Bombay-16 a member of the Central Board for Workers' Education, to be a member of the Board of Governors of the said Board *vice* Shri P. B. Advani.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 17th December 1971

RESOLUTION

No. A-11016/1/70-*LR-IV*.—The term of the Committee on Automation set up by the Government of India *vide* Resolution No. 31/7/68-LR-IV, dated the 19th July, 1969, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th July, 1969 and last extended upto the 31st December, 1971 *vide* our Resolution No. A-11016/1/70-LR-IV dated the 16th September, 1971, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, is hereby further extended upto the 30th June, 1972 or till the date the work of the Committee is completed whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

R. ANANDAKRISHNA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

4—391GI/71